न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 01/2012

बउनवान

1. जोधराज पुत्र रामकल्याण
2. राजमल पुत्र रामकल्याण
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकल्याण
4. कमली पुत्री रामकल्याण जातिगण गूजर, निवासीगण भावगढ, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.01.2012 तहसीलदार मांगरोल अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा एडवोकेट **(अपीलांटगण)**
2. पेरोकार सराकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 10.08.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भावगढ, तहसील बारां में आराजी खसरा नं. 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नंबर 14 रकबा 1.20 है. अपीलांट के पिता रामकल्याण को दिनांक 02.06.1989 को आंवटित हुई थी, एवं दिनांक 17.10.1989 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा संभलाया गया तभी से उक्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रामकल्याण की मृत्यु उपरांत नामातंकरण संख्या 227 दिनांक 24.11.2010 से उक्त आराजी पर अपीलांट के नाम से फौती इंतकाल खोला गया है तथा उक्त आराजी अपीलांटगण के गैर खातेदारी में चली आ रही है। दिनांक 22.09.2011 को अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मांगरोल को उक्त आराजी गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु दिया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा टिप्पणी की गई कि " उक्त विवादित आराजी के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 02.06.1998 को यह आदेश पारित किया गया है कि आंवटी द्वारा राशि जमा नही कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावें किया हुआ है अतः आवंटन स्वतः ही राशि जमा नहीं होने से खत्म हो गया है अतः उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट द्वारा 03.01.2012 को पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 02.06.1998 को पारित आदेश में तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया है कि वे आंवटी के द्वारा राशि जमा न कराने की स्थिति में आराजी को सिवायचक करके, तथा आवंटी को आंवटित की गई भूमि में दखल दे दिया हो तो उसी से राशि जमा कराई जावे। इस कम में दिनांक 28.03.2007 को तहसीलदार मांगरोल द्वारा आवंटित भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

राशि जमा कराने हेतु अपीलांट के पिता को नोटिस दिया गया। अपीलांट के पिता कई बार तहसील मांगरोल में राशि जमा कराने हेतु गये परन्तु अथक प्रयास करने के उपरांत दिनांक 24.11.2010 को अपीलांट के द्वारा 2250 /— रूपये राशि आवंटित भूमि की जमा कराई जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 03.01.2012 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुश्त पर दिनांक 03.01.2012 को अपना निर्णय पारित कर उक्त आराजी को अपीलांट के खाते से खारिज कर सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांटगण दिनांक 02.06.1989 से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा है। रेस्पोडेट द्वारा दिनांक 03.01.2012 को पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 03.01.2012 को निरस्त फरमावें, एवं उक्त आराजी अपीलांटस के खांतेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होने एवं अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी अपीलांट के पिता को दिनांक 02.06.1989 को आंवटित हुई तथा दिनांक 17.10.1989 को पटवारी द्वारा दखल दिया गया था। तभी से निरन्तर अपने जीवनकाल में अपीलांटगण के पिता एवं उनके पश्चात अपीलांटगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। परन्तु अपीलांटगण के पिता की मृत्यु उपरांत खोले गये फौती इंतकाल में उक्त आराजी अपीलांटगण के गैर खातेदारी में दर्ज होने से खातेदारी दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट द्वारा टिप्पणी की गई कि ''उक्त विवादित आराजी के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 02.06.1998 को यह आदेश पारित किया गया है कि आंवटी द्वारा राशि जमा नही कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावें।'' उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट द्वारा 03.01.2012 को पारित किया गया। परन्तु उपजिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.1998 की पालना में अपीलांट के पिता द्वारा दिनांक 24.11.2010 को अपीलांट के द्वारा 2250 /— रूपये राशि आवंटित भूमि की जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अपीलांट आवंटन तिथि से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 03.01.2012 को पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 03.01.2012 को निरस्त फरमावें, एवं उक्त आराजी अपीलांटस के खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:23 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि विवादित आराजी के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 02.06.1998 को यह आदेश पारित किया गया है कि आंवटी द्वारा राशि जमा नही कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावें, तथा विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करे। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां के आदेश की पालना में आदेश

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

दिनांक 03.01.2012 पारित कर उक्त आवंटन निरस्त किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं. 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 02.06.1989 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रामकल्याण पुत्र प्रभूदयाल, जाति गूर्जर, निवासी भावगढ को किया गया। आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 17.10.1989 को आंवटी को संभलाया गया। आवंटन के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 21.07.1998 को आदेश पारित किया गया कि यदि आंवटी का आवंटित आराजी पर कब्जा हो तो आवंटी से नियमानुसार 6–6 माह की चार किश्तों में मय सूद राशि जमा कराये जाने का तहसीलदार अन्ता, मांगरोल को आदेश दिया गया। राशि जमा नहीं कराने की सूरत में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावे। आवंटी द्वारा दिनांक 24.11.2010 को राशि जमा करवा दी गई है तथा प्रकरण में दिनांक 02.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा अपीलांटगण के पक्ष में सनद जारी की जाकर अपीलांटगण को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में दिनांक 03.01.2012 को तहसीलदार मांगरोल द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश का कोई महत्व नहीं रहता है।

परिणामस्वरूपः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:23 IST
Reason: SelfAttested